

समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा के गठन के उपरान्त प्रथम सत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2010 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2010 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल-08 बैठकें हुईं।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 30 नवम्बर, 2010 को अस्थायी अध्यक्ष द्वारा पंचदश बिहार विधान सभा के लिए नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों में से 210 माननीय सदस्यों को एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 को 28 माननीय सदस्यों को तथा दिनांक 02 दिसम्बर, 2010 को 5 माननीय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया एवं पंचदश बिहार विधान सभा के अध्यक्ष का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ।

दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 को महामहिम राज्यपाल द्वारा सह-समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित किया गया। आसन द्वारा सदन नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार तथा विरोधी दल के नेता के रूप में माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी के नाम की घोषणा की गई। सभा सचिव द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 03 विधेयकों का विवरण सभा पटल पर रखा गया।

माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन पटल पर उपस्थापित किया गया। 09 दिवंगत जननायकों के प्रति सदन में शोक प्रकाश किया गया एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 को प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार पुलिस निर्माण निगम का वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन सभा मेज पर रखा गया। साथ ही बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, बोर्ड एवं आयोग में बिहार विधान सभा के सदस्यों को मनोनीत करने हेतु अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को प्राधिकृत किया गया। बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2010-11 की शेष अवधि के लिए मनोनयन द्वारा गठन के लिए अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को अधिकृत किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 07.12.10 को दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रहे वाद-विवाद पर उत्तर दिया गया, जिसके उपरान्त धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 को उप मुख्य मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्ति एवं व्ययों के रूझान के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के परिणाम की एक-एक प्रति तथा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विधान मंडल के सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन नियमावली की प्रति सदन पटल पर रखा गया। योजना एवं विकास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009 तथा बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली, 2009 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित कृषि विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद तथा सरकार के उत्तर के उपरान्त सदन द्वारा माँग स्वीकृत हुआ। वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2010 को सदन में उपस्थापित किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2010 को उप मुख्य मंत्री द्वारा स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर संबंधी अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-165, दिनांक 12.08.2010 एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर संबंधी अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-145, दिनांक 28.07.2010, एस.ओ.-159, 161 एवं 163, दिनांक 12.08.2010, एस.ओ.-188, दिनांक 25.08.2010 तथा एस.ओ.-200, दिनांक 08.09.2010 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के क्षेत्रीय लिपिक सम्बर्ग (राज्य स्तरीय) नियमावली, 2008" तथा "बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी सम्बर्ग नियमावली, 2010" की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी। श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

सत्र के दौरान कुल-177 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें 118 प्रश्न स्वीकृत हुए। स्वीकृत प्रश्नों में 26 अल्पसूचित एवं 92 प्रश्न अतारांकित थे, जिसमें 25 प्रश्न उत्तरित तथा 01 प्रश्न अपृष्ठ हुए। सत्र में कुल-66 स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प पर विचार हुआ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से कतिपय जनहित के मामले उठाये गये।

इस सत्र में कुल-54 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 28 स्वीकृत हुए एवं 26 अस्वीकृत हुए । कुल-18 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 04 स्वीकृत एवं 14 अस्वीकृत हुई ।

इस सत्र में कुल- 59 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 40 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 11 अमान्य हुए ।

प्रश्न काल का पटना दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इन कार्यों से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के दौरान सदन के सफल कार्य-संचालन के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष, प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों के सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के रचनात्मक सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन एवं निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष के शुभागमन में मैं प्रदेश की जनता एवं आपसबों के उज्ज्वल भविष्य एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूँ ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

